बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

ज्ञापांक :   पटना, दिनांक :

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अंतर्गत सर्वश्री सिद्धाश्रम राईस मिल कलस्टर प्रा0 लि0, इटाढ़ी रोड, बक्सर को कैपटिव पावर प्लांट की स्थापना के देय अनुदान ₹ 1,22,40,064 (एक करोड़ बाईस लाख चालिस हजार चौसठ रुपये) मात्र अनुदान राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को कैपटिव पावर प्लांट की स्थापना पर देय अनुदान हेतु सर्वश्री सिद्धाश्रम राईस मिल कलस्टर प्रा0 लि0, इटाढ़ी रोड, बक्सर से प्राप्त आवेदन एवं ब्रेडा, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 04.03.2016 को हुई बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 567 दिनांकः 15.03.2016 के आलोक में सर्वश्री सिद्धाश्रम राईस मिल कलस्टर प्रा0 लि0, इटाढ़ी रोड, बक्सर को ₹ 1,22,40,064 (एक करोड़ बाईस लाख चालिस हजार चौसठ रुपये) मात्र कैपटिव पावर प्लांट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत इकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर तद्नुसार अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iii) इकाई द्वारा कैपटिव पावर संयंत्र/गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मात्र अपनी इकाई के लिए की जायेगी।

(iv) राशि की उपलब्धता के पश्चात अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

2. उक्त राशि के व्यय का वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या–334, दिनांक 22.01.2016 एवं आवंटनादेश संख्या–102/आ0 दिनांक 27.01.2016 के आलोक में मांग–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–पी 2852801020160, राज्य योजना स्कीम को आई0एन0डी0– 5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री सिद्धाश्रम राईस मिल कलस्टर प्रा0 लि0, इटाढ़ी रोड, बक्सर को बैक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से की जाएगी।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– .... पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– .... पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– .... पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 580 पटना, दिनांकः– 15.03.16

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर/सहायक निदेशक (तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री सिद्धाश्रम राईस मिल कलस्टर प्रा0 लि0, इटाढ़ी रोड, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2016
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

(3)